

अधिसूचना

कार्यालय
मण्डल रेल प्रबंधक(का०)
वाराणसी
दिनांक-01.07.2024

सं.का/हित/XI/260/छात्रवृत्ति/2024-25

सभी शाखाधिकारी
पूर्वोत्तर रेलवे, वाराणसी

विषय:-अराजपत्रित रेल कर्मचारियों के पुत्र-पुत्रियों के उच्च तकनीकी शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति ।

सन्दर्भ:- मुख्यालय का पत्र सं का/260/0/पालिसी/II दिनांक 25.03.2022

---***---

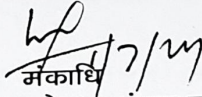
कर्मचारी कल्याण निधि के अंतर्गत, अराजपत्रित रेल कर्मचारियों के उच्च तकनीकी/व्यवसायिक शिक्षारत पुत्र-पुत्रियों को 1500/- प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति का प्रावधान है। ऐसे अराजपत्रित रेल कर्मचारी, जिनके पुत्र-पुत्री मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों से उच्च तकनीकी/व्यवसायिक शिक्षा जैसे: MBA/MCA/CS/MBBS/B.E/B.TECH/Hotel Management कर रहे हैं तथा ग्रेड पे 2400/- (लेवल-4) एवं उससे कम ग्रेड पे में कार्यरत कर्मचारी के पुत्र, पुत्री जो तकनीकी डिप्लोमा पाठ्यक्रम के संस्थागत छात्र हैं, उक्त छात्रवृत्ति हेतु निर्धारित आवेदन-पत्र पर आवेदन कर सकते हैं (आवेदन का प्रारूप संलग्न है)

आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भर कर शिक्षण संस्थान से अभिप्रमाणित एवं नियंत्रक अधिकारी से अग्रसारित करा कर एवं आवश्यक दस्तावेज (पिछले वर्ष का अर्कपत्र, वर्तमान सत्र की फीस रसीद एवं कर्मचारी के अपडेटेड बैंक पास बुक की छाया प्रति) के साथ दो प्रतियों में मण्डल रेल प्रबंधक/कार्मिक कार्यालय में दिनांक-31.10.2024 तक अंतिम रूप से जमा हो जाना चाहिए।

अपूर्ण, अप्रमाणित, बगैर दस्तावेज के या विलम्ब से प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। छात्रवृत्ति का भुगतान दस्तावेजों के वेरिफिकेशन के उपरान्त कर्मचारी के बैंक खाते में किया जाता है।

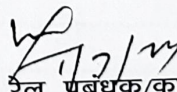
अंतिम तिथि-31.10.2024

कृपया अधीनस्थ कर्मचारियों में उक्त का व्यापक प्रचार -प्रसार करावें।
संलग्नक-यथोपरि।


मंडल
कृते मण्डल रेल प्रबंधक/का.
वाराणसी

प्रतिलिपि-

1. सभी समझ/वारा.मंडल
2. सभी समसिद्ध/वारा.मंडल
3. मंडल मंत्री/नरमू, अपिजा एसो, अजा, अजजा एसो.
4. सभी कार्मिक निरीक्षक वारा.
5. सूचना पट्ट


कृते मण्डल रेल प्रबंधक/का.
वाराणसी

आवेदन-पत्र

अंतिम तिथि:- 31.10.2024

अराजपत्रित रेल कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री/आश्रित भाई बहन जो पास नियम के अंतर्गत हों, की तकनीकी शिक्षा के लिए कर्मचारी कल्याण निधि समिति से सत्र 2024-25 के लिए छात्रवृत्ति प्रदान किये जाने के संबंध में आवेदन-पत्र (मान्य पाठ्यक्रम:- ऐसे अराजपत्रित रेल कर्मचारी, जिनके पुत्र-पुत्री मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों से उच्च तकनीकी/व्यवसायिक शिक्षा जैसे: MBA/MCA/CS/MBBS/B.E/B.TECH/Hotel Management कर रहे हैं तथा ग्रेड पे 2400/- (लेवल-4) एवं उससे कम ग्रेड पे में कार्यरत कर्मचारी के पुत्र, पुत्री जो तकनीकी डिप्लोमा पाठ्यक्रम के संस्थागत छात्र):

कर्मचारी सम्बंधी सूचनाएँ

- 1.0 कर्मचारी का नाम.....
- मो०नं०.....
- 1.1 पदनाम.....
- 1.2 पी०एफ० सं०/बिल युनिट.....
- 1.3 वेतन दर
- 1.4 ग्रेड पे/लेवल.....
- 1.5 कार्यालय का नाम.....
- 1.6 नियुक्ति तिथि.....
- 1.7 सेवानिवृत्ति तिथि.....
- 1.8 कर्मचारी का बैंक खाता सं०(IPAS के अनुसार).....
- 1.9 बैंक का नाम.....
- 1.10 बैंक का IFSC कोड/शाखा.....
- 1.11 छात्र/छात्रा का नाम/नामांकन सं०.....
- 1.12 (अ) छात्र/छात्रा द्वारा लिये गये तकनीकी शिक्षा पाठ्यक्रम का नाम.....
- (ब) आवेदन देते समय छात्र/छात्रा का पाठ्यक्रम वर्ष.....
- 1.13 कितने वर्ष का पाठ्यक्रम है.....
- 1.14 छात्र/छात्रा का आवेदनकर्ता से सम्बंध.....
- 1.15 कॉलेज में प्रवेश लेने की तिथि.....
- 1.16 कॉलेज में प्रवेश लेते समय कम्पटीशन/डोनेशन दिया है? यदि हों तो उसका विवरण.....

कॉलेज द्वारा भरा जाना है।

संस्था सम्बन्धी जानकारी

2.0 शिक्षण संस्था का नाम.....

2.1 मान्यता प्राप्त है अथवा नहीं.....

2.2 मान्यता देने वाली संस्था का नाम.....

.रजिस्ट्रेशन संख्या.....

2.3 क्या छात्र/छात्रा को उक्त संस्था/राज्य/केन्द्र सरकार से छात्रवृत्ति मिलती है यदि हों

तो उसका विवरण दें.....

2.4 ई-मेल पता.....

2.5 कॉलेज से पत्र व्यवहार का पता पिन कोड सहित.....

.....

.....

संस्था अधिकारी के हस्ताक्षर
(मुहर सहित)

3.0 अन्य विवरण

क्या कर्मचारी को इस छात्र/छात्रा के अतिरिक्त किसी अन्य छात्रा को भी कर्मचारी कल्याण निधि से छात्रवृत्ति मिलती है? यदि हाँ, तो उसका विवरण

वर्ष.....

राशि.....

4.0 कर्मचारी द्वारा घोषणा

मैं एतद् द्वारा यह घोषण करता हूँ कि मैं जिस पुत्र/पुत्री/आश्रित भाई/बहन के लिये यह आवेदन प्रस्तुत कर रहा हूँ उसे उक्त पाठ्यक्रम के लिये किसी अन्य स्त्रोतों से कोई छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है और उपर दिये गये सभी विवरण सही है। मैं यह भी वचन देता हूँ कि इस समय जिस छात्रवृत्ति के लिये आवेदन किया गया है, उसकी मंजूरी के बाद यदि कोई छात्रवृत्ति या सहायता मंजूर की जायेगी तो मैं उसकी सूचना सचिव, कर्मचारी कल्याण निधि समिति को तत्काल दूँगा। छात्र/छात्रा के अनुत्तीर्ण होने के वर्ष कर्मचारी कल्याण निधि से सहायता नहीं लूँगा/लूँगी। यह भी घोषणा करता हूँ कि यदि मेरे द्वारा दिये गये कोई भी सूचना/दस्तावेज गलत पाया जाता है तो मेरे खिलाफ अनुशासन एवं अपील नियम-1968 के अंतर्गत प्रशासनिक कार्यवाही करने हेतु रेल प्रशासन को अधिकार होगा।

नोट: आवेदन के साथ वर्तमान सत्र हेतु की गयी जमा फीस की रसीद, पूर्व परीक्षा के मार्कशीट एवं अपडेटेड पासबुक की फोटो प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। फार्म को समय से जमा कराना सुनिश्चित करें। समयोपरान्त जमा किये गये फार्मों पर कोई विचार नहीं किया जा सकेगा।

कर्मचारी का हस्ताक्षर

दिनांक.....

5.0 कर्मचारी द्वारा भरे गये उपर्युक्त सभी विवरण सही हैं तथा जिस छात्र/छात्रा के लिये छात्रवृत्ति हेतु आवेदन किया गया है, वह पास नियम के अंतर्गत कर्मचारी आश्रित है।

नियंत्रक अधिकारी का पूर्ण हस्ताक्षर
(मोहर सहित)

दिनांक:-